०४१८२

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील/91/राज. कमला बनाम महादेव

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00361 श्री मती पूनम माथुर श्री गौरव मल जैन/ जनमाल खान 5,6 प्रा.पत्र 0.1R.18 अप्रा. 1.3 अप्र	

24.3.21

कमला बनाम महादेव वगैरह

बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अभिभाषके अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ,6 उपस्थित। बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन थी। उनवानी प्रकरण में मान्नीय न्यायालय के द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाज प्रार्थी/अधिवक्ता की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण बरवक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सकी और मान्नीय न्यायालय ने उक्त अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। जबकि प्रार्थी/अधिवक्ता प्रकरण के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं रही है बल्कि उक्त अनुपस्थिति उपरोक्त सद्भाविक कारण होने से क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अधिवक्त ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना दे देगी जायेगी, इस कारण से प्रार्थी नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण की सुनवायी गुणावगुण पर किया जना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किय जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 04 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को विधि सम्मत खारिज की है इसलिए पुनः नम्बर पर ली जाती है तो भारी कोस्ट पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 05 ,6 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को विधि सम्मत खारिज की है इसलिए पुनः नम्बर पर ली जाती है तो भारी कोस्ट पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर